R.T.I. Activist Association of India
Corrupt System Trembles with Transparency
Regd. Under Ministry of MSME, NITI Ayog & Indian Trust Act (Govt of India)
Office Add: K-60, GF, Jungpura Ext., New Delhi - 110014 Reg. No.: 34/2023

कार्यालय निर्देश

प्रेषक- **पत्रांक- RAAI/24/97**

अमन यादव
राष्ट्रीय सचिव
आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

सेवा में,
समस्त प्रदेश अध्यक्ष
आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया

विषय: सूचना का अधिकार दिवस (12 अक्टूबर 2024) के आयोजन हेतु निर्देश

महोदय/महोदया,
उपर्युक्त विषय मे मा० राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष राय के निर्देशानुसार आप समस्त प्रदेश अध्यक्षो को निर्देशित किया जाता है कि 12 अक्टूबर 2024 को सूचना का अधिकार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, आप सभी अपने-अपने प्रदेश, मण्डल, एवं जिला कार्यालयों में अपने स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित करें।

विधिक दृष्टिकोण:
यह दिवस न केवल हमारे संगठन के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की अभिव्यक्ति को भी सुदृढ़ करता है, 12/10/2024 का दिन हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आरटीआई (सूचना का अधिकार) कानून ने हमारे समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करने का कार्य किया है, वैसे ही हम सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम इसे और सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, लेकिन एकजुट होकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हर सवाल, हर जानकारी की माँग, एक छोटे से बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर हम निष्क्रिय हो गए, तो वो बदलाव कभी संभव नहीं होगा। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं, यह जनता की ताकत है। इस ताकत को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसलिए सभी साथियों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएं, जहाँ कहीं भी अनियमितता या पारदर्शिता की कमी नजर आए, वहाँ आरटीआई का प्रयोग कर उसे उजागर करें।

+91 9451655455, +91 8888422333 raaindia2005@gmail.com https://rti-india.org/

आपका हर प्रयास न केवल आपके समाज नही बल्कि पूरे देश में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया बनेगा। आइए, हम सब मिलकर एक मजबूत और सक्रिय आरटीआई नेटवर्क तैयार करें, ताकि कोई भी अन्याय या भ्रष्टाचार बिना जवाबदेही के न रहे। हम सभी भारतवासी एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।

1. आयोजन:

समस्त मण्डल/जिला/तहसील/ब्लॉक/संसदीय क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षो, को यह निर्देशित किया जाता है कि वे विधिसम्मत और सुव्यवस्थित तरीके से दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को अपने-अपने कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

2. दस्तावेज़ीकरण एवं फ़ोटो ग्राफ

सभी कार्यक्रमों की प्रामाणिक फोटोग्राफ्स एवं आयोजन के संबंध में अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़/जानकारी एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय को समय पर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

3. संपर्क एवं समन्वय:

यदि किसी प्रकार की विधिक परामर्श, मार्गदर्शन या संगठनात्मक सहायता की आवश्यकता हो, तो आप प्रदेश अध्यक्ष या संगठन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। यह अनिवार्य होगा कि सभी अधिकारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की चूक से बचें।

4. अनुपालन की गंभीरता:

उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सभी पदाधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की चूक अथवा अनुपालन में त्रुटि संगठन के निर्देशों की अवहेलना के रूप में चिन्हित किया जायेगा।

उपरोक्त पत्र के अनुपालन की अपेक्षा के साथ,

सादर,

अमन यादव
राष्ट्रीय सचिव
आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश
दिनाँक- 07/10/2024

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
2. कार्यालय रिकॉर्ड हेतु